जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— प.5(18)जविप्रा/लैण्ड बैंक/2021/डी— दिनांकः—

—:कार्यालय आदेशः—

जविप्रा स्वामित्व के खसरों को शामिल करते हुए निर्मित लैण्ड बैंक का रिकॉर्ड अद्यतन रखने को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक जविप्रा/एफ.5(18)/लैण्ड बैंक/2021/डी— 272—273 दिनांक 11.05.2022 एवं दिनांक 02.03.2024 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये :—

1. जोन क्षेत्रान्तर्गत स्थित जविप्रा स्वामित्व की भूमि का अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करावें एवं मौके की रिपोर्ट मय फौटोग्राफ्स लैण्ड बैंक सॉफ्टवेयर पर अपलोड करावें।
2. सॉफ्टवेयर पर खसरों का मास्टर प्लान— 2011 व 2025 के अनुसार भू—उपयोग अपडेट कर 90ए/बी के जरिये जविप्रा के नाम खाते में आयी भूमि को विशिष्टतया चिन्हित करें।
3. 90ए/बी के पारित आदेशों के नामान्तकरण खुलवावें तथा जविप्रा रीजन में स्थित गावों में जो राजकीय भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं हुई है उसका नामान्तरकरण खुलवावें।
4. मौके पर अतिक्रमण/अवैध मिट्टी खनन पाये जाने पर सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं प्रर्वतन अधिकारी संयुक्त रूप से तत्काल कार्यवाही करते हुए अवैध गतिविधियों को रूकवाने तथा उपयोग की जारी रही मशीनरी को जब्त कर भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों के क्रम में समय—समय पर जोन स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना/प्रगति रिपोर्ट लैण्ड बैंक प्रकोष्ठ को भिजवाये जाने बाबत लिखा जाता रहा है। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2024 को आयोजित बैठक के बिन्दु संख्या 6 पर दिये गये निर्देशो के क्रम में पुनः इस बाबत यू0ओ0 नोट दिनांक 23.04.2024 द्वारा सभी जोन्स को लिखा गया था किन्तु की गई कार्यवाही की सूचना/प्रगति रिपोर्ट आदिनांक नहीं भिजवाई गई है।

अतः सभी जोन उपायुक्तों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने— अपने जोन में पदस्थापित तहसीलदार/अमीन पटवारी को इस कार्य हेतु पाबन्द करते हुए पूर्व में जारी आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए लैण्ड बैंक सॉफ्टवेयर पर आपके जोन क्षेत्राधिकार से संबंधित जविप्रा स्वामित्व की भूमियों की स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए समय—समय पर सूचना लैण्ड बैंक प्रकोष्ठ को भिजवाने का श्रम करें।

साथ ही जविप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि की सुरक्षा, सदुपयोग व उसकी तारबन्दी के संबंध में यू0ओ0 नोट क्रमांक प.5(18)जविप्रा/2021/डी— 03 दिनांक 04.01.2024 एवं आदेश दिनांक 02.03.2024 में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:—

क्र. सं.	कार्यवाही	प्रभारी अधिकारी/प्रकोष्ठ
1.	सरकारी भूमियों पर हो रहे अतिक्रमणों/अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित जोन से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट चाहे जाने पर चिन्हित भूमि की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करवाई जावे।	जोन उपायुक्त/प्रवर्तन अधिकारी
2.	भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त जोन उपायुक्त द्वारा संबंधित अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को पत्र प्रेषित किया जाकर मौके पर तार—फैंसिंग/बाउण्ड्रीवाल करवाई जावे तथा भूमि के सदुपयोग हेतु योजना बनाई जावे।	जोन उपायुक्त/अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
3.	एक बार जविप्रा स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाये जाने के बावजूद भी यदि पुनः कब्जा किया जाता है तो ऐसे कब्जाधारियों के विरूद्ध जोन उपायुक्त कार्यालय के तहसीलदार/पटवारी द्वारा संबंधित थाने में FIR दर्ज करवाई जावे। उक्त कार्य में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जोन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।	जोन उपायुक्त/प्रवर्तन अधिकारी/जोन तहसीलदार

RajKaj Ref
7170580

4.	सरकारी भूमियों पर जविप्रा स्वामित्व के बोर्ड लगाये जावे तथा अतिक्रमण की सूचना दिये जाने हेतु बोर्ड पर मोबाईल नम्बर भी लिखे जावें। जिससे आम जन उक्त नम्बर पर सूचना उपलब्ध करवा सके।	जोन उपायुक्त / अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
5.	जविप्रा भूमियों / सैक्टर रोड़ की भूमि पर अवैध खनन / अवैध निर्माण इत्यादि की निगरानी हेतु जोन एवं प्रवर्तन प्रकोष्ठ की ओर से एक संयुक्त टीम का गठन किया जावे जिससे भूमियों की निगरानी हो सके।	जोन उपायुक्त / प्रवर्तन अधिकारी
6.	प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा रिक्त करवाई गई सरकारी भूमियों की Latest Photos को प्रतिमाह जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जावे।	जोन उपायुक्त / प्रवर्तन अधिकारी / सिस्टम एनालिस्ट

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए जिससे जविप्रा भूमि का संरक्षण हो सके। जोन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली जविप्रा स्वामित्व की भूमि के संरक्षण / निरीक्षण की समस्त जिम्मेदारी संबंधित उपायुक्त जोन की होगी।

किन्तु उक्त की पालना सुनिश्चित नहीं हो रही है। अतः सभी जोन उपायुक्त / संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आदेशों की पालना करते हुए समय–समय पर लैण्ड बैंक प्रकोष्ठ को अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

साथ ही सभी जोन उपायुक्तों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके जोन क्षेत्राधिकार में आने वाली जविप्रा सम्पतियों को सुरक्षित रखने हेतु सतत निगरानी करें तथा जो सम्पतियां योजना के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से, आवंटन के माध्यम से विक्रय / निस्तारित की जा सकती हो ऐसी सम्पतियों की सूचना प्रतिमाह राजस्व एवं सम्पति निस्तारण प्रकोष्ठ को उपलब्ध करावें ताकि सम्पतियां खुर्द– बुर्द न हो एवं समय पर उनका निस्तारण किया जा सके।

(हेमपुष्पा शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (विधि / वित्त / अभियांत्रिकी–प्रथम / द्वितीय / नगर आयोजना),जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / पी.आर.एन. / एल.पी.सी. / भूमि),जविप्रा, जयपुर।
7. सयुंक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / समस्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर
9. विशेषाधिकारी (आर.एम. / राजस्व एवं सम्पति निस्तारण प्रकोष्ठ), जविप्रा, जयपुर
10. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
11. उपायुक्त जोन 1 से 14, पी.आर.एन.(उत्तर I &II / दक्षिण I &II), जविप्रा, जयपुर।
12. उपायुक्त (प्रशासन / कोर्ट केस / वाहन / सिस्टम मैनेजमेंट / संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
13. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियंता / प्रवर्तन अधिकारी जोन 1 से 14, पी.आर.एन.(उत्तर I &II / दक्षिण I &II) जविप्रा, जयपुर।
15. रक्षी पत्रावली।

(डॉ. प्रिया बलराम)
अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)

RajKaj Ref
7170580

Signature Not Verified
Digitally Signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Secretary
Date :14-05-2024 09:34:03